

# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A Division Building (Ground Floor), HFC Campus, Dhurwa, Ranchi- 834004.

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850.



पत्रांक... 1-805

दिनांक 22-04-10

प्रेषक,

आर० के० सिन्हा,  
सदस्य सचिव

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी,  
झोरी कॉलियरी, पो० झोरी,  
जिला-बोकारो।

विषय: सर्वश्री झोरी ग्रुप ऑफ़ माइन्स, झोरी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, झोरी अन्डर ग्राउन्ड प्रोजेक्ट एवं झोरी खास अन्डर ग्राउन्ड प्रोजेक्ट, सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लि०, पो० झोरी, जिला-बोकारो का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के सम्बन्ध में

महाशय,

उपरोक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके उपरोक्त परियोजना के लिये लोक सुनवाई दिनांक 24.05.2010 (दिन सोमवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे छपरी गेस्ट हाउस, झोरी क्षेत्र, जिला बोकारो में निर्धारित की गई है। अतः अपने ई०आई०ए० प्रतिवेदन, ई०अ०ई०ए० सारांश की दस्त-दस्त प्रतियां हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में (टी०ओ०अ०के० के अनुसार तैयार किया हुआ) निम्नलिखित कार्यालयों/स्थानों पर एक सप्ताह के अन्दर तक नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक रूप से समर्पित कर दें। साथ ही ई०अ०ई०ए० की हार्ड कॉपी एवं सफ्ट कॉपी नागरिकों के अन्तर्गत उपलब्ध करा दें।

1. उपायुक्त कार्यालय, बोकारो।
2. जिला उद्योग केंद्र, बोकारो।
3. जिला पर्वद, बोकारो।
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, टी०ए० भवन, पोरत भुवा, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, ए०ओ०आई०जी०-1, राधार पटेल नगर, हीरापुर, धनबाद।
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-3, चन्द्रशेखरपुर, दुवगेडवर-751023
7. संबंधित मंचयत।

लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०अ०ई०ए० अधिसूचना संख्या टी०एस०ओ० 1533 दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत होगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय लोगों प्रभावित स्थल एवं आस-पस के लोगों को लोक सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह पूर्व दृगदृगी बजाकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से भी दी जाय।

दिखासनाम

ह०/-

(आर० के० सिन्हा)

सदस्य सचिव

पत्रांक... 1-805

दिनांक 22-04-10

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय पदाधिकारी, धनबाद को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सुसूचित है कि उक्त तिथि को लोक सुनवाई में भाग लें एवं इकाई को आवश्यक नामदर्शन भी अपने स्तर से करें।

(आर० के० सिन्हा)

सदस्य सचिव।

अंजलि